राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक: प.22(3)न्याय /2018
जयपुर, दिनांक: 20.8.19

:: आदेश ::

राजस्थान विधिक (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 1981 के नियम 28 के अन्तर्गत वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्श की वर्ष 2019-20 के रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 09.08.2019 को आयोजित की गई। विभागीय पदोन्नति समिति की अभिसंसा के अनुसार निम्नलिखित संयुक्त विधि परामर्श का चयन गोपयता के आधार पर करने के फलस्वरूप इन्हें वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्श के पद पर वेतन शुरू करें। PB No.-4 (37400-67000) GP No.-22 (8700) L-21 में एलवदारा पदोन्नत किया जाता है—

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्रमांक</th>
<th>नाम अधिकारी</th>
<th>रिक्त की तिथि</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>श्री हजारी राम ज्यामी</td>
<td>01.04.2019</td>
</tr>
</tbody>
</table>

श्री हजारी राम ज्यामी, संयुक्त विधि परामर्श, निदेशालय, माध्यमिक रिश्ता, बीकानेर को पदोन्नति पर वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्श, न्याय विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के रिक्त पद पर स्थानांतरण / पदस्थापिता किया जाता है।

राज्यपाल महोदय की आदेश से

(महाशिव प्रसाद शामी)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिपाठि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है—
1. विस्तिरण सहायक, मान्यती विधि मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्यक।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. संविष्टित अधिकारी / विभाग।
6. प्रोग्रामर, विधि विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. निजी पत्रावली / रक्षित पत्रावली।

(महाशिव प्रसाद शामी)
संयुक्त शासन सचिव
## राजस्थान सरकार

### विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक: प.22(4)न्याय/2018

जयपुर, दिनांक: 20-8-19

:: आज्ञा ::

राजस्थान विधिक (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 1981 के नियम 28 के अनुसार संयुक्त विधि परामर्श की वर्ष 2019-20 के रूप से रखे में पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 09.08.2019 को आयोजित की गई। विभागीय पदोन्नति समिति की अभिवादन के अनुसार निम्नलिखित उप विधि परामर्श का चयन वरिष्ठ—सह–योग्यता के आधार पर करने के फलस्वरूप इसे संयुक्त विधि परामर्श के पद पर वेतन श्रृंखला PB No.–3 (15600-39100) GP No.–21 (8200) L-20 में इनके नाम के समस्त अधिक दिनांक से एवंदृश्य पदोन्नत किया जाता है:–

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्र.सं.</th>
<th>नाम सर्वश्री/श्रीमती</th>
<th>रिक्त की तिथि</th>
<th>क्र.सं.</th>
<th>नाम सर्वश्री/श्रीमती</th>
<th>रिक्त की तिथि</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>विनोद कुमार अग्रवाल</td>
<td>01.04.2019</td>
<td>9.</td>
<td>तेजेन्द्र पाल मीणा</td>
<td>01.04.2019</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>कैलास राम इनामिया</td>
<td>01.04.2019</td>
<td>10.</td>
<td>बद्रीनाथरण व्यस</td>
<td>01.04.2019</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>प्रकाश गुप्ता</td>
<td>01.04.2019</td>
<td>11.</td>
<td>महेन्द्र कुमार विहियासार</td>
<td>01.04.2019</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>अशोक कुमार पीया</td>
<td>01.04.2019</td>
<td>12.</td>
<td>श्रीमती सुचिन्ता शर्मा</td>
<td>01.04.2019</td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>विजय प्रसाद शर्मा</td>
<td>01.04.2019</td>
<td>13.</td>
<td>नियाज मोहम्मद</td>
<td>01.04.2019</td>
</tr>
<tr>
<td>6.</td>
<td>श्रीमती नीता विजय मिश्रा</td>
<td>01.04.2019</td>
<td>14.</td>
<td>अशोक गुप्ता</td>
<td>01.12.2019</td>
</tr>
<tr>
<td>7.</td>
<td>हरिकुण दुर्देवता</td>
<td>01.04.2019</td>
<td>15.</td>
<td>हरिध कुमार शर्मा</td>
<td>01.12.2019</td>
</tr>
<tr>
<td>8.</td>
<td>हासन अहली</td>
<td>01.04.2019</td>
<td>16.</td>
<td>केदारनाथ</td>
<td>01.02.2020</td>
</tr>
</tbody>
</table>

पदोन्नति का वास्तविक नकद नाम कार्यग्रहण करने की दिनांक से देखा होगा। उक्त पदोन्नत अधिकारियों के पदस्थापन आदेश अंतर से जारी किये जाएंगे।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से

(महोदय प्रसाद शर्मा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्यकारी।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. संबंधित अधिकारी/विभाग।
6. प्राध्यापन, विधि विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. निजी पत्रावली/रिक्त पत्रावली।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से

(महोदय प्रसाद शर्मा)
प्रमुख शासन सचिव
राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग  

प्रमुख शासन सचिव  

आज्ञा: 

राजस्थान विधि (साध्य एवं अधीनस्त) सेवा नियम, 1981 के नियम 28 के अनुसार उप विधि परामर्श की वर्ष 2019–20 के रिक्त पट्टी पर पदनित हेतु विभागीय पदनित समिति की बैठक दिनांक 09.08.2019 को आयोजित की गई। विभागीय पदनित समिति की अभियंता के अनुसार निम्नलिखित सहायक विधि परामर्श का चयन वरिष्ठ-सह-योग्यता के आधार पर करने के फलस्वरूप इहैं उप विधि परामर्श के पद पर वेतन शुरुता PB No.-3 (15600-39100) GP No.-19 (7200) L-18 में इनके नाम के समुक्ष अंकित दिनांक से पदनित किया जाता है—

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्र.सं.</th>
<th>नाम तथा श्री/श्रीमती</th>
<th>रिक्त की तिथि</th>
<th>क्र.सं.</th>
<th>नाम तथा श्री/श्रीमती</th>
<th>रिक्त की तिथि</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>डॉ. गोरी शंकर भागवत</td>
<td>01.04.2019</td>
<td>16</td>
<td>रघुसेन कुमार मालपाली</td>
<td>01.04.2019</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>सुबीश खान</td>
<td>01.04.2019</td>
<td>17</td>
<td>मोहन लाल गुरुता</td>
<td>01.04.2019</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>राजेश कुमार अड्डा</td>
<td>01.04.2019</td>
<td>18</td>
<td>रघुसेन कुमार लहाड़ीया</td>
<td>01.04.2019</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>मनोज कुमार शर्मा</td>
<td>01.04.2019</td>
<td>19</td>
<td>ओमप्रकाश शर्मा</td>
<td>01.04.2019</td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>कुलदत्ता</td>
<td>01.04.2019</td>
<td>20</td>
<td>चौलेकर कुमार</td>
<td>01.04.2019</td>
</tr>
<tr>
<td>6.</td>
<td>शंकर सिंह देवधान</td>
<td>01.04.2019</td>
<td>21</td>
<td>दीनदया वर्मा</td>
<td>01.04.2019</td>
</tr>
<tr>
<td>7.</td>
<td>राम भोसले शर्मा</td>
<td>01.04.2019</td>
<td>22</td>
<td>हेमराज</td>
<td>01.04.2019</td>
</tr>
<tr>
<td>8.</td>
<td>गंगाराम लाल शर्मा</td>
<td>01.04.2019</td>
<td>23</td>
<td>चंद्रशेखर शर्मा</td>
<td>01.04.2019</td>
</tr>
<tr>
<td>9.</td>
<td>राजेश गुरुता</td>
<td>01.04.2019</td>
<td>24</td>
<td>कविता महर्षि</td>
<td>01.04.2019</td>
</tr>
<tr>
<td>10.</td>
<td>अरविंद सिंह राजपूरालिह</td>
<td>01.04.2019</td>
<td>25</td>
<td>संजय माधुर</td>
<td>01.06.2019</td>
</tr>
<tr>
<td>11.</td>
<td>मनोज कुमार उक्कमाय</td>
<td>01.04.2019</td>
<td>26</td>
<td>चंद्र शेखर गोड</td>
<td>01.12.2019</td>
</tr>
<tr>
<td>12.</td>
<td>बक़तुल उल्लास सुलामानी</td>
<td>01.04.2019</td>
<td>27</td>
<td>योगेन्द्र कुमार पदवाच</td>
<td>01.12.2019</td>
</tr>
<tr>
<td>13.</td>
<td>मनोज कुमार</td>
<td>01.04.2019</td>
<td>28</td>
<td>रघुसेन कुमार आयार</td>
<td>01.02.2020</td>
</tr>
<tr>
<td>14.</td>
<td>सुनीता कुमार गुरुता</td>
<td>01.04.2019</td>
<td>29</td>
<td>कैलाश चंद्र सर्गकार</td>
<td>01.02.2020</td>
</tr>
<tr>
<td>15.</td>
<td>विकन्त सिंह गायाब</td>
<td>01.04.2019</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

पदनित का वाल्यविक नकद लाभ विकार्यंन करने की दिनांक से देय होगा। सर्व श्री शुभकल्याण एवं श्री श्रद्धा कुमार शर्मा के साथ साथ सभी प्रामाण्य-पत्र प्राप्त स्थापित हेतु प्राप्त होगा। यह इश्यक पदनित आदेश जारी नहीं किया गया है। उक्त पदनित अधिकारियों के पदस्थापन आदेश अंतर से जारी किये जाएंगे।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से

(महावीर प्रसाद शामी)

प्रमुख शासन सचिव
राजस्थान सरकार
विधे एवं विधेय कार्य विभाग

क्रमांक: प.22(6)-याय / 2018

:: आदेश ::

राजस्थान विधेय (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 1981 के नियम 28 के अन्तर्गत सहायक विधे परामर्श की वर्ष 2018-19 के यति पट्टी पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति के बैठक दिनांक 04.10.2018 को आयोजित की गई। विभागीय पदोन्नति समिति की अभिसंगा के अनुसार निम्नलिखित वर्णित विधे अधिकारी का चयन वरिष्ठता-तह-योग्यता के आधार पर करने के फलस्वरूप इन्हें सहायक विधे परामर्श के पद पर वेतन श्रंखला PB No.-3 (15600-39100) GP No.-16 (6000) L-15 में इनके नाम के समपुर्ण अंशित दिनांक से एटड्सा पदोन्नत किया जाता है।

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्र.सं.</th>
<th>नाम सर्वोच्च श्री/श्रीमती</th>
<th>शिलांक की विधि</th>
<th>क्र.सं.</th>
<th>नाम सर्वोच्च श्री/श्रीमती</th>
<th>शिलांक की विधि</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>सीमा महेश्वरी</td>
<td>01.04.2019</td>
<td>11.</td>
<td>प्रदर्शनक क्षेत्र</td>
<td>01.04.2019</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>अजीत कुमार मोहनी</td>
<td>01.04.2019</td>
<td>12.</td>
<td>रणबीर सिंह सेहतादत</td>
<td>01.04.2019</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>बांद कुमार पालीकाल</td>
<td>01.04.2019</td>
<td>13.</td>
<td>डेबेट वर्ष वंदार</td>
<td>01.04.2019</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>आज प्रकाश शर्मा</td>
<td>01.04.2019</td>
<td>14.</td>
<td>महेंद्र पाल सिंह</td>
<td>01.04.2019</td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>अमर सिंह बाहुलिया</td>
<td>01.04.2019</td>
<td>15.</td>
<td>अशोक कुमार हेटर</td>
<td>01.04.2019</td>
</tr>
<tr>
<td>6.</td>
<td>कवरी लाल सोनी</td>
<td>01.04.2019</td>
<td>16.</td>
<td>उपा शर्मा</td>
<td>01.04.2019</td>
</tr>
<tr>
<td>7.</td>
<td>प्रदाय सिंह राधीक</td>
<td>01.04.2019</td>
<td>17.</td>
<td>कल्माना शर्मा</td>
<td>01.04.2019</td>
</tr>
<tr>
<td>8.</td>
<td>पवन चावला</td>
<td>01.04.2019</td>
<td>18.</td>
<td>गीतम आचार्य</td>
<td>01.04.2019</td>
</tr>
<tr>
<td>9.</td>
<td>गजेंद्र सिंह जाट</td>
<td>01.04.2019</td>
<td>19.</td>
<td>मंजु बाला किरताँदु</td>
<td>01.04.2019</td>
</tr>
<tr>
<td>10.</td>
<td>संग्राम करनाथार</td>
<td>01.04.2019</td>
<td>20.</td>
<td>राजसिंह</td>
<td>01.04.2019</td>
</tr>
</tbody>
</table>

पदोन्नति का वास्तविक नकद लाभ कार्यप्रणाली करने के दिनांक से देय होगा। उक्त पदोन्नति अधिकारियों के पदस्थापन आदेश अलग से जारी किये जाएंगे।

राजस्थान महादेव की आदेश से

(ना०.अ०.स०.श्री) प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनाध्यक्ष एवं आवृत्तिक कार्यावहारी हेतु अन्धमित है:--

1. विशिष्ट सहायक, मान्नीय विधे मंत्री महादेव।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधे।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कामिक।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अज्ञात।
5. संबंधित अधिकारी/विभाग।
6. प्रोग्रामा०, विधे विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. निजी पत्रावली/शिक्षित पत्रावली।

(ना०.अ०.स०.श्री)
प्रमुख शासन सचिव

D:\WINOD 2015\Proceedings_2019-20\ALR - ORDER.docx